उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-22/2022/12/तेईस-14-2022-02आ0बु0वि0नि0/2019टी0सी0
लखनऊ: दिनांक- 28 फरवरी, 2022

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुन्देलखण्ड विकास निधि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-109/2021/320/23-14-2021-02आ0पू0वि0नि0/2019टी0सी0, दिनांक 19.03.2021 द्वारा जनपद-झांसी की 01 परियोजना हेतु रू0 99.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि रू0 5.00 लाख अवमुक्त की गयी थी। उक्त अंकित परियोजना "**बख्तर से बरदिया नाला तक (मध्य प्रदेश की सीमा तक) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में रू0 99.77 लाख**" की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 5.00 लाख अवमुक्त की गयी थी।

2- अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोक निर्माण विभाग, झांसी द्वारा अपने पत्र संख्या-2095/बु0वि0नि0 (राज्यांश)/2021-22, दिनांक 27.12.2021 द्वारा परियोजना पर अवमुक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए उक्त परियोजना की स्वीकृति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-109/2021/320/23-14-2021-02आ0पू0वि0नि0/2019टी0सी0, दिनांक 19.03.2021 में अंकित परियोजना "**बख्तर से बरदिया नाला तक (मध्य प्रदेश की सीमा तक) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य** " की स्वीकृति को निरस्त किया जाता है।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.03.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 19.03.2021 की शेष शर्ते एवं अन्य विवरण यथावत् रहेंगी।

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-22/2022/12(1)/23-14-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, झांसी ।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी ।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झांसी ।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in